सं०: एस-11011/3/2015-एसबीएम

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) प्रभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक: 03/09/2015

विषय:- **खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदया/महोदय,

एसबीएम(जी) पूर्ण रूप से खुले में शौचमुक्त(ओडीएफ) गाँवों की प्राप्ति पर बल देता है। इस विषय में सचिव, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनाँक 16 फरवरी, 2015 के अ.शा.पत्र सं० 2/2/एस(डीडब्ल्यूएस)/2015 के माध्यम से सभी राज्यों को बताया था और राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे स्वच्छता के संदर्भ में योजना एवं निरीक्षण हेतु ओडीएफ को आधार बनाएँ। तदुपरांत, ओडीएफ के लिए समान मानदंडों हेतु भारत सरकार ने ओडीएफ की परिभाषा जारी की और संयुक्त सचिव(एसबीएम-जी) के दिनाँक 9 जून, 2015 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से राज्यों को इससे अवगत कराया और परिचित किया।

2. एसबीएम(जी) की शुरूआत के बाद राज्यों से ओडीएफ होने वाले गाँवों के संबंध में निरंतर रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं। अब यह आवश्यक हो गया है कि राज्य इन ओडीएफ दावों के सत्यापन हेतु एक तंत्र/प्रक्रिया स्थापित करें।

3. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने ओडीएफ सत्यापन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। जो अनुलग्नक 1 के पैरा 6 में दिए गए हैं। राज्य इन ओडीएफ सत्यापन के लिए इन दिशा-निर्देशों का उपयोग करें।

4. दिशा-निर्देशों में ओडीएफ घोषित की जाने वाली ग्राम पंचायत/गाँव के लिए एक जाँच सूची(अनुलग्नक-2) भी दी गई है। यह जाँच सूची भारत सरकार द्वारा जारी की गई ओडीएफ की परिभाषा पर आधारित है।

5. यह आशा की जाती है कि ग्राम पंचायत/गाँव की ओडीएफ स्थिति के सत्यापन में ये दिशा-निर्देश राज्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

भवदीय

(डा. निपुण विनायक)
निदेशक

संलग्नक: यथोक्त

सेवा में,

प्रधान सचिव/ प्रभारी सचिव, ग्रामीण स्वच्छता
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रति:

राज्य समन्वयक, एसबीएम(जी)-सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

प्रति प्रेषित:

सचिव, डीडब्ल्यूएस के पीपीएस/संयुक्त सचिव(एसबीएम-जी) के पीएस।
तकनीकी निदेशक, एनआईसी-मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने हेतु।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

<u>अनुलग्नक-1</u>

ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश

(ये दिशा-निर्देश सांकेतिक है तथा ओडीएफ के सत्यापन के लिए राज्यों को उनके अपने तंत्र विकासित करने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए हैं। ये दिशा-निर्देश संयुक्त सचिव के अ.शा. पत्र दिनाँक 9 जून, 2015 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी ओडीएफ परिभाषा पर आधारित हैं)

स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद, सभी राज्यों में स्वच्छता के कार्यों में तीव्रता आई है। इसके साथ ही, परिणामों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दो चीजों पर बल दिया गया है। एक, व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देना तथा दूसरा, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाने के लिए गाँवों को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त(ओडीएफ) बनाने पर बल देना (वैयक्तिक शौचालयों की माँग को निरंतर पूरा करते हुए)।

2. अब कई ग्राम पंचायत तथा गाँव खुले में शौच मुक्त बनने लगे हैं। वर्ष 2015-16 में राज्यों ने उनकी एआईपी के अनुसार 42828 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने की योजना बनाई है। देश भर में विभिन्न राज्यों से गाँवों/ग्राम पंचायतों को स्वयं ओडीएफ घोषित करने के संबंध में नियमित रूप से सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं।

3. देश भर में 'ओडीएफ' का समान अर्थ संप्रेषित करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) को परिभाषित किया तथा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संयुक्त सचिव के अ.श.पत्र दिनाँक 9 जून, 2015 के माध्यम से इस संदर्भ में सूचित किया गया। परिभाषा निम्नानुसार है:

ओडीएफ 'मल-मौखिक' संचारण का समापन है, जो निम्नानुसार परिभाषित होगा:-

(क) वातावरण/गाँव में किसी प्रकार का मल दृष्टिगत न होना,

(ख) प्रत्येक परिवार और साथ ही सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों द्वारा मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्प का प्रयोग हो।

(सलाह:- सुरक्षित तकनीकी विकल्प का अर्थ है सतही मिट्टी, भूजल अथवा सतही जल में किसी प्रकार का संदूषण न होना, मल मक्खियों तथा जानवरों की पहुँच से दूर होना, ताजे मल को न छूना, तथा दुर्गंध आदि की स्थिति से मुक्त होना।)

4. अब यह आवश्यक है कि ओडीएफ सत्यापन के लिए तंत्र को विकसित किया जाए। यह तंत्र निम्नलिखित कारणों से राज्यों द्वारा विकसित किया जाना चाहिए।

- स्वच्छता राज्य का विषय है तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य मुख्य तत्व है।

- राष्ट्रीय स्तर पर ओडीएफ शब्द की परिभाषा दी गई है तथा उसके संकेतक निर्धारित किए गए हैं। अब मात्र इन संकेतकों के विश्वसनीय सत्यापन की प्रक्रिया बनानी शेष है। यह कार्य राज्यों पर छोड़ा गया है ताकि वे अपने अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया का चयन कर सकें।
- इससे परिणामों एवं प्रक्रिया का बेहतर स्वामित्व सुनिश्चित करना।
- इससे राज्य की बेहतर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता पर अधिक बल दिया जा सकेगा।
- राज्यों के लिए प्रशासनिक एवं तंत्र की दृष्टि से स्वयं की सत्यापन प्रक्रिया ज्यादा आसान है।
- कुछ राज्य बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन की स्कीम के साथ सामने आ रहे हैं। अत: वे परिणाम के मापन हेतु स्वयं की प्रक्रिया रख सकते हैं।
- इससे विभिन्न मॉडल/अन्वेषण सामने आएंगे।

5. केंद्र की भूमिका निम्न होगी-

- विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को साझा करना।
- राज्यों द्वारा ओडीएफ घोषित किए गए ग्राम पंचायत/गाँव के कुछ प्रतिशत की जाँच करने हेतु तंत्र विकसित करना और साथ ही उन राज्यों, जिनके स्वमूल्यांकन तथा केंद्र के मूल्यांकन में बहुत अधिक अंतर है उनको सुविधा तथा मार्गदर्शन प्रदान करना।

<u>ओडीएफ सत्यापन के दिशा-निर्देश</u>

6. राज्यों को उनकी सत्यापन प्रक्रिया विकसित करने हेतु वृहद दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। ये दिशा-निर्देश राज्यों के मार्गदर्शन हेतु सांकेतिक मात्र हैं तथा निम्नानुसार हैं।

क). ओडीएफ सत्यापन की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा ओडीएफ की प्राप्ति के लिए स्व-घोषणा करने के संकल्प से प्रारंभ होगी। यह संकल्प पूरे ग्राम पंचायत अथवा एक गाँव/बसावट के लिए भी हो सकता है।

ख). चूँकि ओडीएफ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, अत: कम से कम दो बार सत्यापन किया जाए। पहला सत्यापन ओडीएफ स्थिति की घोषणा करने के तीन महीने के भीतर जाँच हेतु किया जाएगा। इसके पश्चात ओडीएफ की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पहले सत्यापन से लगभग 6 महीनें बाद एक बार फिर सत्यापन किया जाएगा।

ग). सत्यापन की इकाई ग्राम पंचायत अथवा केवल एक गाँव/बसावट हो सकती है।

घ). सत्यापन के संकेतक भारत सरकार द्वारा दी गई ओडीएफ की परिभाषा के अनुसार होंगे। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार किसी अन्य संकेतक को भी शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ड.) राज्य यह चयन कर सकते हैं कि वे किस माध्यम से सत्यापन करवाना चाहते हैं- अपने स्वयं की टीम द्वारा अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा। यदि स्वयं की टीम का प्रयोग किया जाए तो गाँव/ब्लाक/जिले का एक दूसरे द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। बल्कि इन टीमों में पत्रकार सहित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी व्यक्तियो को शामिल करना लाभप्रद होगा। यदि तीसरे पक्ष का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए स्पष्ट टीओआर तथा मानदंड होंगे। स्वैच्छिक टीम का होना बेहतर होगा।

च). वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान समुदाय, ब्लाक अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है।

छ). राज्य मूल्यांकन के लिए अपना प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं। तथापि सर्वेक्षण में ओडीएफ की परिभाषा में दिए गए संकेतक अवश्य शामिल किए जाएँ। विशेष रूप से ग्राम तथा पारिवारिक स्तर की प्रश्नावली तैयार की जाए। मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित प्रश्नों तथा विकल्पों के साथ एक मानक जाँच सूची तैयार की गई है और संदर्भ हेतु संलग्न (अनुलग्नक 2) की गई है। राज्य इस प्रोफार्मा का उपयोग कर सकते हैं अथवा अपना स्वयं सर्वेक्षण प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं। तथापि सर्वेक्षण में ओडीएफ की परिभाषा में दिए गए संकेतक अवश्य शामिल किए जाएँ।

ज). सत्यापन करने वाली टीमों को मल के सुरक्षित निपटान सहित ओडीएफ परिभाषा को समझने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

<u>अनुलग्नक 2</u>

ग्राम पंचायत/गाँव को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने हेतु जाँच सूची-

किसी भी गाँव को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण के प्रश्न संख्या 1,2,3,4, के उत्तर अनिवार्यत: हाँ (√) होने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी गाँव को ओडीएफ होने के लिए गाँव सर्वेक्षण प्रश्न 8,9,10,11,12 के उत्तर भी हाँ (√) ही होने आवश्यक हैं।

(क) पारिवारिक सर्वेक्षण

मानदंड	हाँ (√)/ नहीं (×)
1) शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता	
2) शत प्रतिशत उपयोग	
3) मक्खी रहित फ्लाई प्रूफिंग शौचालय	
4) मल-जल का सुरक्षित निपटान	
5) खाना खाने से पहले हाथ धोना	
6) शौच के उपरांत साबुन से हाथ धोना	
7) शौचालय में तथा उसके आस-पास साबुन तथा जल की उपलब्धता	

ख) गाँव सर्वेक्षण

मानदंड	हाँ (√)/ नहीं (×)
8) वातावरण/गाँव में मल न दिखना	
9) स्कूलों में शौचालय का उपयुक्त प्रयोग	
10) स्कूली शौचालय में सुरक्षित मल निपटान की व्यवस्था	
11) आंगनवाड़ी शौचालयों का उचित उपयोग	
12) आंगनवाड़ी शौचालयों में मल निपटान की उचित व्यवस्था	

उपर्युक्त सत्यापन सूची में उल्लिखित मानदंडों के लिए कुंजी

पारिवारिक सर्वेक्षण

प्रश्न सं०	मानदंड	प्रस्तावित प्रश्न	उत्तर	हाँ (√)/ नहीं (×)
1.	शौचालय की उपलब्धता	पारिवारिक सदस्यों को शौचालय की उपलब्धता	परिसर में शौचालय उपलब्ध हैं।	√
			परिसर के बाहर अपना शौचालय उपलब्ध है	√
			परिसर में साझा शौचालय है	√
			परिसर से बाहर साझा शौचालय है	√
			सामुदायिक शौचालय	√
			सार्वजनिक शौचालय	√
			शौचालय उपलब्ध नहीं	×
2.	शत प्रतिशत उपयोग	क्या कभी कभी काई सदस्य खुले में शौच करता है*	हाँ	×
			नहीं	√
3.	मक्खी रहित (फ्लाई-प्रूफिंग)	क्या शौचालय मक्खी से सुरक्षित है (भौतिक निरीक्षण)	शौचालय में पानी का सील है	√
			शौचालय पर किसी प्रकार का कोई ढक्कन है	√
			शौचालय में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।	×
4.	मल का सुरक्षित निपटान	शौचालय में किस प्रकार मल का निपटान किया जाता है (भौतिक निरीक्षण)	शौचालय का मल सीधे खुले गड्ढे, खुली नाली, नाला, तालाब अथवा नदी में बहाया जाता है	×
			शौचालय एक बंद नाली से जुड़ा है जो <u>शोधन रहित</u> खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी आदि से जुड़ता है	×
			शौचालय एक बंद नाली से जुड़ा है जो <u>शोधन सहित</u> खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी आदि से जुड़ता है	√
			शौचालय एक सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है और सेप्टिक टैंक भरने के बाद वह सीधे नाली, तालाब, नाला अथवा नदी में खाली किया जाता है	×

(

			शौचालय एक सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है और सेप्टिक टैंक भरने के बाद वह अलग से एक सोक पिट में भरता है	√
			शौचालय एक बंद ट्विन पिट से जुड़ा है	√
			शौचालय का एक अलग ढांचा है जो उपर्युक्त किसी भी ढांचे से भिन्न है परंतु सुरक्षित है	√
5.	खाना खाने से पहले हाथ धोना	क्या सभी सदस्य खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं	हाँ	√
			नहीं	×
6.	शौच के बाद साबुन से हाथ धोना	क्या परिवार के सभी सदस्य शौच के बाद साबुन से हाथ धोते हैं	हाँ	√
			नहीं	×
7.	शौचालय में अथवा उसके आस-पास साबुन तथा पानी की उपलब्धता	भौतिक निरीक्षण	शौचालय में अथवा आस-पास साबुन तथा पानी उपलब्ध है	√
			शौचालय में अथवा आस-पास साबुन तथा पानी उपलब्ध नहीं है	×

❖ शिशुओं के मामले में यह प्रश्न होगा कि शिशु-मल का निपटान कैसे किया जाता है		
I.	घर के परिसर से बाहर रास्ते, सड़क अथवा खुले क्षेत्र में फेंकना	×
II.	शौचालय में फेंकना	√

गाँव सर्वेक्षण

प्र०सं०	मानदंड	प्रस्तावित प्रश्न	उत्तर	अंक
8.	खुले में शौच की शून्य घटना	भौतिक निरीक्षण	I. खुले में शौच का अथवा गाँव में या उसके आस-पास दुर्गंध का कोई चिंह नहीं होना	√
			II. गाँव में अथवा उसके आस-पास कुछ स्थानों पर खुले में शौच दिखना या गाँव में अथवा उसके आस-पास दुर्गंध होना।	×
			III. गाँव के आस-पास विभिन्न स्थानों पर, खुले में शौच का व्याप्त होना, दिखना और गाँव में विभिन्न स्थानों पर दुर्गंध का व्याप्त होना।	×
9,11	स्कूली, आंगनवाड़ी शौचालयों का उचित उपयोग	भौतिक निरीक्षण	I. शौचालय का प्रयोग न होना/निष्क्रिय पाया जाना	×
			II. शौचालय में खराब व्यवस्था, शौचालय के अंदर या आस-पास मल दिखना, जल उपलब्ध न होना तथा बहुत कम बार शौचालय का उपयोग किया जाना प्रतीत होना।	×
			III. शौचालय का उचित रख-रखाव, नियमित उपयोग तथा उसके अंदर या आस-पास जल	√

			उपलब्ध होना	
10,12	स्कूली/आंगनवाडी शौचालयों में मल का सुरक्षित निपटान	भौतिक निरीक्षण	I. शौचालय का मल सीधे खुले गड्ढे, खुली नाली, नाला, तालाब अथवा नदी में बहना	×
			II. शौचालय एक बंद नाली से जुड़ा है जो शोधन रहित खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी आदि से जुड़ता है	×
			III. शौचालय एक बंद नाली से जुड़ा है जो शोधन सहित खुले क्षेत्र, तालाब, नाला, नदी आदि से जुड़ता है	√
			IV. शौचालय एक सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है और सेप्टिंक टैंक भरने के बाद मलयुक्त पानी सीधे नाली, तालाब, नाला अथवा नदी में खाली किया जाता है	×
			V. शौचालय एक सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है और सेप्टिंक टैंक भरने के बाद मलयुक्त अलग से शीष खड्डे में भरता है	√
			VI. शौचालय एक बंद ट्विन पिट से जुड़ा है	√
			VII. शौचालय का एक अलग ढांचा है जो उपर्युक्त किसी भी ढांचे से भिन्न है परंतु सुरक्षित है	√